**भारत सरकार**
**विदेश मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 3646**
**दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**अमृतसर विमानपत्तन पर निर्वासित व्यक्तियों का आगमन**

3646. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**
**श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए हमारी भूमि पर अपने सैन्य विमानों को उतारने हेतु पूर्व अनुमति मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) निर्वासित लोगों के कई राज्यों से होने के बावजूद, निर्वासन उड़ानों के लिए अमृतसर को लैंडिंग स्थल के रूप में चुनने के क्या कारण हैं और इसके आधार का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा पंजाब की मानहानि को रोकने के लिए मीडिया कवरेज में सभी प्रभावित राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(घ) क्या सरकार इस तथ्य के मद्देनजर कि अवैध प्रवास एक राष्ट्रीय मुद्दा है, देश के सभी राज्यों में समान रूप से निर्वासन आगमन पर विचार कर रही है; और
(ङ) क्या मंत्रालय ने निर्वासित भारतीय व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, विशेषकर उन्हें हथकड़ी और जंजीरें पहनाकर वापस भेजे जाने के संबंध में अमरीका के साथ कोई चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**विदेश राज्य मंत्री**

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) निर्वासितों को लाने वाले अमेरिकी विमान आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद भारत में उतर गए हैं।

निर्वासित लोगों को लाने वाली किसी भी प्रत्यावर्तन उड़ान के लिए लैंडिंग स्थल का निर्णय परिचालनात्मक सुविधा, भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश के लिए विशिष्ट मार्ग और विशेष रूप से, आने वाले निर्वासित लोगों के अंतिम गंतव्य स्थान की निकटता के आधार पर किया जाता है।

जनवरी 2025 से अब तक, कुल 388 निर्वासित लोग अमेरिका से भारत आए हैं। इनमें से, कुल 333 भारतीय नागरिक तीन निर्वासन उड़ानों के माध्यम से अमेरिका से अमृतसर पहुँचे, जो क्रमशः 5, 15

और 16 फरवरी 2025 को उतरीं। 333 निर्वासित लोगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया  है:

| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **5 फरवरी** | **15 फरवरी** | **16 फरवरी** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| पंजाब | 30 | 65 | 31 | 126 (38%) |
| हरियाणा | 33 | 33 | 44 | 110 (33%) |
| गुजरात | 33 | 8 | 33 | 74 (22%) |
| उत्तर प्रदेश | 3 | 3 | 2 | 8 (2%) |
| महाराष्ट्र | 3 | 2 | 0 | 5 (1.5%) |
| चंडीगढ़ | 2 | 0 | 0 | 2 (0.6%) |
| गोवा | 0 | 2 | 0 | 2 (0.6%) |
| राजस्थान | 0 | 2 | 0 | 2 (0.6%) |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 1 | 2 (0.6%) |
| जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 1 | 0 | 1 (0.3%) |
| उत्तराखंड | 0 | 0 | 1 | 1 (0.3%) |
| कुल | 104 | 117 | 112 | 333 |

इसके अतिरिक्त, 55 निर्वासित भारतीय अमेरिका से पनामा के रास्ते वाणिज्यिक उड़ानों से नई दिल्ली पहुंचे। उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **फरवरी 20** | **23 फरवरी** | **27 फरवरी** | **28 फरवरी** | **2 मार्च** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पंजाब | 0 | 4 | 8 | 6 | 9 | 27 (49%) |
| हरियाणा | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 22 (40%) |
| उत्तर प्रदेश | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (5%) |
| गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 (4%) |
| राजस्थान | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(2%) |
| **कुल** | **2** | **12** | **11** | **9** | **21** | **55** |

भारत सरकार, निर्वासन ऑपरेशन के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार की अपेक्षा के संबंध में अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में है। मंत्रालय ने 5 फरवरी को भारत में उतरने वाले विमान में निर्वासित लोगों के साथ किए गए व्यवहार, विशेष रूप से महिलाओं पर बेड़ियों के प्रयोग के संबंध में अमेरिकी प्राधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताओं को दृढ़ता से दर्ज किया। नवंबर 2012 से प्रभावी, निर्वासन को व्यवस्थित और निष्पादित करने संबंधी अमेरिकी मानक संचालन प्रक्रिया में निर्वासित लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। अमेरिकी प्राधिकारियों ने बताया है कि मिशन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जबकि महिलाओं और नाबालिगों को आम तौर पर बेड़ियाँ नहीं लगाई जाती हैं, इस मामले में निर्वासन उड़ान के प्रभारी उड़ान अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है। अमेरिकी पक्ष ने पुष्टि की है कि क्रमशः 15 और 16 फरवरी को भारत में उतरने वाले निर्वासन विमानों में किसी भी महिला या बच्चे  पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। भारत पहुंचने पर निर्वासित लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी एजेंसियों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई और इसे दर्ज किया गया।

*****